निःशक्तजनो के स्वरोजगार के अवसर में अभिवृद्धि करने अथवा उनका रोजगारपरकता बढ़ाने हेतु सहायक उपकरणो के वित्तपोषण की योजना

एनएचएफडीसी अपने लक्षित वर्ग के स्वरोजगार के मौको में वृद्धि करने अथवा उनकी रोजगार की संभावनाओ को बढ़ाने के लिए हियरिंग एंड स्क्रीन रीडर मोटर चलित तिपहिया साईकिल स्कूटी जैसे उपकरणो की खरीद के लिए ऋण के रूप में वितिय सहयता प्रदान करता है ।

एनएचएफडीसी की इस वित पोषण सहायता योजना की लागत में निःशक्तजन के पास उपलब्ध मशीन उपकरण वाहन आदि के डिसेबल्ड फ्रेंडली मोंड में रिट्रोफिटिग रुपांतरण/ अनुकलन का खर्च शामिल किया जा सकता है ।

उद्धेय

इस योजना का मुख्य उद्धेश्य जरूरतमंद निःशक्तजनो को टिकाऊ भरोसेमंद और वैज्ञानिक रूप से निर्मित आधुनिक मानक सहायक उपकरणों की खरीद के लिए नियायतो ऋण उपलब्ध कराना है जिससे उनके स्वरोजगार/रोजगार संबधी संभावनाए बढ़ सके इस योजना के अर्तगत खरीदे गए सहायक उपकरण आईएसआई मार्क या इसके समकक्ष गुणवत्ता प्रमाणपत्र युक्त होना चाहिए ।

पात्रता–

- प्रत्येक भारतीय नागरीक जो 40 या अधिक विकलांग है ।
- 18 वर्ष से अधिक उम्र
- ख्यातनाम संगठन में कार्यरत हो अथवा उनसे नियुक्ति पत्र प्राप्त हो चुका हो संगठन का प्रमुख यह प्रमाणित करेगा कि सहायक उपकरण से प्रार्थी की रोजगारपरकता बेहतर होगी तथा उक्त उपकरण संगठन द्वारा उपलब्ध नही कराया जा रहा है स्वरोजगार के मामल में सहायक उपकरण की आवश्कता के आवेदन का मूंल्याकन संवीक्षा एंव संस्तुवि प्रधिकृत अधिकारी (एससीए/आरआरबी) द्वारा की जाएगी

ऋण राशि –

5.00 लाख रूपये तक का ऋण (ऋण राशि का निर्धारण चुकौती में उधारकर्ता की चुकौती क्षमता के आधार पर किया जाएगा)

ब्याज की दर :

	ऋण राशि	एस.सी.ए. द्वारा एनएचएफडीसी को दी जाने वाली	लाभार्थियों द्वारा एस.सी.ए. को दी जाने वाली
1)	₹ 50,000/– तक	2%	5%
2)	₹ 50,000/– से अधिक एवं रूपये 5,00,000/– तक	3%	6%

नोट : 1. विकलांग महिलाओं के लिये ब्याज दर पर 1.0 प्रतिशत की छूट।
2. दृष्टि/मानसिक/मुक बधिर श्रेणी के विकलांग व्यक्तियों को ब्याज दर में 0.5% की छूट।

ऋण की चुकौती : ऋण की अदायगी 5 साल में की जाएगी।

ऋण प्राप्त करने की प्रकिया–

आवेदक को अपना आवेदन विहित प्रपत्र में एनएचएफडीसी द्वारा नामित कार्यान्वयन संस्था क्षेत्रीय ग्रमीण बैंक,राज्य कार्यकारी संस्था में जमा करना होगा तथा नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनैंस एण्ड डिवैल्पमेण्ठ कार्पोरेशन की ऋण नीति में वर्णित प्रकिया के अनुसार ऋण स्वीकृत किया जाएगा ।

इस योजना के तहत ऋण की अन्य निंबधन एवं शर्ते एनएचएफडीसी की स्वरोजगार हेतु बनाई गई ऋण नीति के अनुसार होगी।

एनएचएफडीसी का अधिकार

किसी भी विवाद की दशा में अप्रनि एनएचएफडीसी का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा.